

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु/ भूकर/11/2/1/2009-10/ ~~3086~~ दिनांक:- 6-11-17
भू-प्रबन्ध अधिकारी,
अलवर ।

विषय:- तहसील मण्डावर जिला अलवर की बन्द की राज्य सरकार की
अधिसूचना की धारा 106, 107 व 108 भिजवाने बाबत ।

प्रसंग:-संयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप-1 विभाग का पत्र क्रमांक प.
13(5)राज-1/2008 दिनांक 5.9.17 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना
दिनांक 5.9.2017 जारी कर तहसील मण्डावर जिला अलवर के 3 ग्रामों को बन्द घोषित
किया है जिसकी छाया प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन
अभिलेख 15 दिवस में राजस्व विभाग को सम्भलवाकर सूचना भिजवावें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


^E
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:- 6-11-17

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 3087-88

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

✓ प्रोग्रामर मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।


✓ प्रभारी, DILRMP मुख्य कार्यालय


अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील मुण्डावर जिला अलवर के समस्त ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य जो अधिसूचना क्रमांक: प0 13(5)राज./ग्रुप-1/2008 दिनांक 14.10.2008 के अन्तर्गत प्रारम्भ करवाया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु अधिसूचना क्रमांक प. 13(5)राज-1/08 दिनांक 14.10.08 द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 122 ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना दिनांक 05.04.2016 एवं 21.02.2017 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से 03 ग्रामों यथा जसाई, बासनी, हरिनगर के अभिलेखों का पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 03 ग्रामों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू-आभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

R.R
B
20-9-17



राज्यपाल की आज्ञा से

30

(सांवरमल वर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/01/2009-10/2107 दिनांक 09.08.2017
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव 17

188

20.9.17